पत्रांक–14 / डी0एल0ए0 अररिया एस0एस0बी0 –2 / 13– 908 दि0– 25/3/13

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

भू–अर्जन शाखा

(अधिसूचना)

पत्रांक /आर0, पटना, दिनांक

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि अररिया जिला के अंचल फारबिसगंज के ग्राम+मौजा दामादिघी थाना नं0–159, में 24 वीं बटालियन के एस0एस0बी0 के बी0ओ0पी0 कैम्प निर्माण हेतु कार्य वाहक सेना नायक 24 वीं वाहिनी एस0एस0बी0, बथनाहा, अररिया (बिहार) में निर्माण हेतु बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा अतिरिक्त जमीन ली जानी अपेक्षित है। इस लिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम+मौजा दामादिघी थाना नं0 159 के भीतर भूमि के एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 1.75 एकड़ पचहत्तर डी0 के बराबर होता है जिसका प्लोट सं0 निम्नांकित है: –

खाता	खेसरा	रकवा एकड़ में
9	85	1.05A
83	82	0.47 A
81	83	0.23 A
कुलः–		**1.75 A**

चौहद्दी : –
उत्तर :– सरकारी सड़क
दक्षिण :– खेसरा सं0 85 का अंश
पूरब :– खेसरा नं0 91 सरकारी सड़क
पश्चिम :– खेसरा नं0 82, 83, 85 पार्ट ऑफ कैम्प

यह अधिसूचना बिहार, भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 04 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित है, उन सभी रैयतों के लिये जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया और उनके कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया और उनके कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरंभिक अनुसंधान में तत्समय एस0एस0बी0 के कर्मचारी तथा पदाधिकारी को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा–2 में तथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना की शीध्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5(क) उपबंध लागू नहीं होगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/1/13
समाहर्त्ता,
अररिया

सरकार के उपसचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

पत्रांक–14 / डी0एल0ए0 अररिया एस0एस0बी0 –2 / 13–   दि0–

ज्ञापांक 908 / भू–अर्जन, पटना   दिनांक 25/3/13

प्रतिलिपि : निदेशक, जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप समाहर्त्ता, प्रभारी जिला गजट, अररिया समाहरणालय के जिला गजट के अलावे अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस–दस (10–10) प्रतियों इस विभाग को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, अररिया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता, अररिया / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/13

सरकार के उप सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।